



परसोडी कला में अमेरा खुली खदान का विरोध, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, भांजी लाठी

खदान विस्तार को लेकर संघर्ष ने लिया खूनी रूप, जमकर हुई पत्थरबाजी

हरिभूमि न्यूज | लखनपुर/रजपुरीकला

अमेरा खुली खदान के विस्तार को लेकर चल गतिरोध ने आखिरकार खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एएसईसीएल को कोयला उखनन के लिए ए जमीन देने का विरोध कर रहे ग्राम परसोडी कला ग्रामीण बुधवार को उग्र हो गए। कब्जा खाली कराने की

पुलिस व प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी की। इस पत्थरबाजी में अपर कलेक्टर, एएसपी सहित अन्य अधिकारी, पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी पत्थर चलाए गए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी भांजी गई। इस जवाबी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है। परसोडी कला गांव व आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

बता दें कि अमेरा खुली खदान के विस्तार को लेकर क्षेत्र के परसोडी कला, कटकोना क्षेत्र में विवाद की स्थिति महीनों से बनी हुई है। एएसईसीएल और ग्रामीणों के बीच वर्षों से भूमि अधिग्रहण को लेकर गतिरोध जारी है लेकिन नवम्बर 2024 से एएसईसीएल प्रबंधन और ग्रामीण आमने सामने हैं। इस दौरान दो बार ग्रामीणों ने एएसईसीएल के कर्मचारियों पर **▶▶▶ श्रेष्ठ पेज 4 पर**




मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी।

वर्ष 2011 से चल रहा है खनन कार्य

अब इस मामले में एएसईसीएल प्रबंधन की ओर से भी बयान सामने आया है। एएसईसीएल बिलासपुर जनसम्पर्क द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अमेरा ओपनकास्ट माइंस, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक 1.0 एमटीपीए क्षमता वाली परियोजना है। माइंस के लिए आवश्यक भूमि परसोडीकला, अमेरा, पूहपुरा और कटकोना गांवों में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 664.184 हेक्टर है। इस भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2001 में किया गया था। अधिग्रहीत भूमि के एक हिस्से का कब्जा मिलने के बाद वर्ष 2011 में खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्पादन वर्ष 2019 तक जारी रहा, परंतु कुछ ग्रामीणों द्वारा वैधानिक/संवैधानिक प्रावधानों से अधिक लाभ की मांग एवं तीव्र विरोध के चलते खनन बंद करना पड़ा। वर्ष 2024 में राज्य प्रशासन के हस्तक्षेप एवं अतिरिक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने तथा प्रभावित परिवारों को निर्धारित मुआवजा एवं लाभ प्रदान करने के बाद खनन संचालन पुनः आरम्भ किया गया। अब तक परसोडीकला गांव में लगभग 10 करोड़ का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। जैसे-जैसे खनन कार्य परसोडीकला की ओर बढ़ा, भूमि मालिकों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुनः उकसाया गया और उन्होंने अपनी भूमि जो कि कोल बेयरिंग (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहीत है खाली करने से इंकार कर दिया। उन्होंने हिंसक गतिविधियों भी की, जिसके कारण 8 नवंबर से खनन संचालन बाधित हो गया। 3 दिसम्बर को सुबह 10 बजे, जिला प्रशासन के अधिकारी एएसपी, एएसडीएम-तहसीलदार और खनन अधिकारी विरोध कर रहे ग्रामीणों से वार्ता करने एवं संचालन पुनः शुरू करने हेतु परियोजना स्थल पहुंचे लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन की अपील नहीं मानी और अधिकारियों तथा पुलिस बल पर पथरबाजी शुरू कर दिया। गंभीर स्थिति को गंभीर देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और उपद्रवी भीड़ को तितर-बितर किया गया। इसके उपरंत खनन उपकरणों को फिर से तैनात किया गया और शाम 5 बजे से खनन कार्य आधिकारिक रूप से पुनः प्रारम्भ किया गया।

पत्थरबाजी के बाद छोड़े आंसू गैस के गोले

आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 12वीं कक्षा के एक छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। आरी सख्या में पुलिस बल ने एकत्रित हुए ग्रामीणों को खदेड़ने का प्रयास किया तो ग्रामीणों की ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने अपनी ओर से पटाखा जलाकर फेंकने के साथ ही पत्थर फेंका गया और गुलेल का भी उपयोग किया गया। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए। पत्थरबाजी के कारण पुलिसकर्मी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अचानक हुए हमले के बाद पुलिस ने भी अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई की और पत्थर चलाकर ग्रामीणों को खदेड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही पुलिस की ओर से भी लाठी चार्ज करने के साथ ही ग्रामीणों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पत्थरबाजी की घटनाएं रुक रुक कर होती रही। इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों के बीच तीन राउंड झड़प हुई। बाद में प्रशासन ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए टेंट पडाल को उखाड़ने के साथ ही जला दिया गया।



50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुए इस संघर्ष में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी से अपर कलेक्टर सुनील नायक को पेट व पीठ में चोट लगी जबकि एएसपी अमोलक सिंह दिल्ली को पैर में चोट लगी। इसके साथ ही थाना प्रभारियों के साथ लगभग 50 से अधिक पुलिसकर्मीयों को मामूली चोट आई है। वहीं लगभग 12 से 15 पुलिसकर्मीयों को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। घायल पुलिसकर्मीयों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिसकर्मीयों की जवाबी कार्रवाई में पूर्व सरपंच लोकनाथ उरु, पुल्हेवर राजवाड़े, राजेंद्र सिंह, चरण, अनिता सिंह, नंद लाल सिंह, देव चरण राम, दयालाल, मिलन राजवाड़े, भोगीला बाई, सुबेष्टर रजक, संतोष राजवाड़े, सहित अन्य महिला पुरुष ग्रामीण घायल हो गए।

मुआवजा लेने को तैयार नहीं

भूमि का अधिग्रहण कोल बेयरिंग एक्ट के तहत वर्ष 2001 में हो चुका है। कुछ लोगों ने मुआवजा और नौकरी भी ली है लेकिन अधिकांश मुआवजा लेने को तैयार नहीं हैं। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया। भू अर्जन होने के बाद फिर से किसी प्रकार की बारम्बोजि नहीं हो सकती है। हमने उनके टेंट हटवाने हैं। पत्थरबाजी पहले ग्रामीणों ने शुरू की जिसके बाद हमने अपना बचाव किया।

-सुनील नायक, अपर कलेक्टर

की गई है पत्थरबाजी

समझाइश के दौरान ग्रामीणों की ओर से पत्थरबाजी की गई। हमने में हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास चल रहा है।

-अमोलक सिंह दिल्ली एएसपी सरगुजा

अवैध साल लट्टा परिवहन करता ट्रक लोडर जब्त, ले जा रहे थे उत्तरप्रदेश

हरिभूमि न्यूज | अम्बिकापुर

सेमल लट्टा के अवैध परिवहन की सूचना पर वन अमले ने लट्टा लोडर एक ट्रक व लोडर मशीन को जब्त करने के साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

वन परिक्षेत्र बलरामपुर अंतर्गत बरदर सर्किल के जहाडीह वीट में महिंद्रा ट्रक क्रमांक सीजी 15 डीएफ 1373 में 13 नग सेमल लट्टा लोडरक यूपी ले जाया जा रहा था। सूचना पर पहुंचे वन अधिकारियों ने अवैध लट्टा परिवहन करते पाए जाने पर ट्रक को जब्त किया। ट्रक में लोडर के माध्यम से सेमल लट्टा लोडर करने पर अधिकारियों ने लोडर को जब्त करने के साथ ही बलरामपुर निवासी अनिल यादव



पिता सुनेश्वर यादव अफसर मुजफ्फरनगर यूपी निवासी अफसर अनिल पिता सौकत अली को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में वन परिक्षेत्राधिकारी निखिल सक्सेना, वनपाल अनिल कुजूर, वनरक्षक देवी लाल, राजेश राम, प्रवीण बेक

आदि शामिल थे। उपवन मण्डलाधिकारी अनिल सिंह पैकरा ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम 1927 की धारा 41,52 छत्तीसगढ़ अधिवहन नियम 2001 के तहत कार्रवाई की गई है।

सरगुजा में काम कर रहा मानव तस्करो का गिरोह

अम्बिकापुर/लखनपुर। सरगुजा में भोली भाली महिलाओं और युवतियों को तस्करी करने का मामला सामने आया है। तस्करो ने

अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर शादी-शुदा म हिला समेत दो युवतियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन में बेच दिया। यहां युवतियों को बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं आरोपियों ने शादी शुदा महिला की फिर से शादी तक कर दी। एक युवती किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली जबकि दूसरी महिला को पुलिस ने बचाने के साथ ही इस मामले में दो अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य की तलाश जारी है।

बताया जा रहा है कि शहर के मठपारा क्षेत्र में रहने वाली शादी शुदा महिला को शादी पार्टी में काम दिलाने के बहाने उसकी सहेली अलका अपने साथ पत्थलगंवा लेकर जाने के नाम पर 11 नवंबर को निकली थी और उसके बाद महिला को आरोपिया ने उज्जैन में ले जाकर दो लाख रुपए में बेच दिया। दौरान महिला ने से अशोक नामक युवक से जबरन विवाह भी करा दिया।



इधर अलका ने महिला का फोन भी उठाना बंद कर दिया। इसी बीच 29 नवंबर को अशोक ने महिला की बहन को फोन कर बताया की तुम्हारी बहन को अलका ने 2 लाख रुपए में बेच दिया और अगर वह दो लाख रुपए देगी तभी उसकी बहन को छोड़ेगा। ऐसे में महिला ने घटना की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा मामले में अपराध दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस टीम को उज्जैन रवाना किया गया जहां पुलिस ने उज्जैन में भंवर सिंह के कब्जे से महिला को बरामद किया गया। इस दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी सहेली अलका ने उज्जैन स्टेशन पर अशोक, मुकेश

मागकर निकली दूसरी युवती, अपराध दर्ज

तस्करो ने मठपारा के साथ ही लखनपुर क्षेत्र से भी एक युवती का अपहरण कर उसे बेच दिया था। युवती किसी तरह मागकर पुलिस के पास पहुंची जिसके बाद उसे वापस सरगुजा लाया गया। 18 वर्षीया युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी गाम सिंगीटाना निवासी धनी कुजूर युवती के घर आना जाना करता था। आरोप है कि धनी कुजूर द्वारा अम्बिकापुर में काम दिलाऊंगा कहकर मोटरसाइकिल में बैठाकर वह अपने साथ अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन के बगल में गोरखी डबरा ले गए। जहां आरोपी के तीन साथी अलका उरव, नितेश और अशोक मिले। अलका उरव ने पीड़िता के सोने के नथनी चांदी का तैल और कपड़ा रख ली। मोबाइल और स्मि अशोक द्वारा रख लिया गया। आरोपियों ने रात में ट्रक के माध्यम से पीड़िता को मध्य प्रदेश के उज्जैन ले गए और पीड़िता को एक घर में अशोक के साथ छोड़कर धनी कुजूर, नितेश और अलका उरव वापस लौट आए। पीड़िता युवती को एक कमरे में बंद कर दिया और किसी से बातचीत करने तथा बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जब युवती अशोक को घर जाने की बात कही तब अशोक ने कहा कि तुम यहीं रहोगी तुम्हें लाख रुपए में बेच दिया गया है। एक सप्ताह वहां रुकने के बाद युवती को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था इसी दौरान युवती ने शोर मचाई तो आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और उज्जैन पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को बरामद कर सखी सेंटर ले जाकर छोड़ दी। 2 दिन के बाद पीड़िता के परिजन सखी सेंटर पहुंचे और उज्जैन पुलिस को मदद से पीड़िता युवती को घर लेकर आए। पीड़िता की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने महिला सहित चार के खिलाफ धारा 143(2),3(5) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

और भंवर सिंह को सौंपकर चली गई थी। आरोपी उसे उज्जैन से 15 किमी दूर गांव बड़ोदिया लेकर आए और अशोक एवं मुकेश ने जबरन भंवर सिंह से उसकी शादी कर दी। भंवर सिंह पीड़िता को भागने की कोशिश करने पर जान से मारने की धमकी देता था। महिला के बयान के बाद पुलिस ने उज्जैन के प्रेमनगर चिमनगंज निवासी 25 वर्षीय भंवर सिंह गोहाना आ. उमराव सिंह व 32

वर्षीय उमेश सिंह गोहाना आ. उमराव सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 143 (2), 187, 3(5), 140 (3), 142,144, (2), 64(2) डी के तहत गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मणिपुर निरीक्षक अश्विनी सिंह, सडिन शौखीलाल, आरक्षक सत्येंद्र दुबे सक्रिय रहे।

हरिभूमि

जन्मदिन उत्सव महाबम्पर ड्रा

सांत्वना पुरस्कार विजेताओं के नाम

रायपुर संस्करण - 371. मेश पटेल पिता। पति ईश्वर पटेल पता- चंगोरा भाटा रायपुर, 372. हेमांगी शांडिल्य पिता। पति अमृत शांडिल्य पता- रायपुर, 373. हरिशंकर चंद्राकर पिता। पति स्व. फूलसिंह चंद्राकर पता- सुन्दर नगर रायपुर, 374. रूप राम साहू पिता। पति चैन सिंह साहू पता- बोरिया खुर्द रायपुर, 375. मिथलेश आडिल पिता। पति अजीत राम आडिल पता- राम नगर चंगोरा भाटा रायपुर, 376. रूपराम देवांगन पिता। पति घासिया राम देवांगन पता- मथपुरेना रायपुर, 377. सृष्टि चंद्राकर पिता। पति देवेन्द्र कुमार चंद्राकर पता- छत्तीसगढ़ नगर टिकरापारा रायपुर, 378. जितेश कुमार देवांगन पिता। पति बलदेव देवांगन पता- शहीद भगत सिंह चौक टिकरापारा रायपुर, 379. एशिता सेन पिता। पति जितेंद्र सेन पता- छत्तीसगढ़ नगर टिकरापारा रायपुर, 380. त्रिशा सिन्हा पिता। पति पदमलोचन सिन्हा पता- मोहंदा तरपोंगी रायपुर, 381. अनन्या साहू पिता। पति रोशन लाल साहू पता- सरकडा पोस्ट पांडुका, 382. देवानंद साहू पिता। पति महेश्वर राम साहू पता- दहदहा धमतरी, 383. लता बाई साहू पिता। पति समत राम साहू पता- बकली कुरुद धमतरी, 384. सैय्यद मखूद अली पिता। पति सैय्यद महमूद अली पता- सिहावा चौक धमतरी, 385. थानेखर सिन्हा पिता। पति राम कुमार सिन्हा पता- भोथिपार खुर्द नयापारा राजनादागांव, 386. पशुपति नाथ ताम्रकार पिता। पति स्व. शंकर लाल ताम्रकार पता- गैंदाटोला राजनादागांव, 387. सुनीता सोनी पिता। पति राकेश कुमार सोनी पता- सोनार पारा राजनादागांव, 388. चित्रांश चौहान पिता। पति हेमंत कुमार चौहान पता- बेमेतर, 389. ज्ञामिन देवांगन पिता। पति हरीश कुमार देवांगन पता- सरगपाल कांके, 390. ईश्वर चंद खिस्ती पिता। पति स्व. सूर्यकान्त खिस्ती पता- चितौद पुरु धमतरी, 391. सरिता राव पिता। पति M.G. राव पता- नयापारा जगदलपुर, 392. राजेंद्र सिद्धार पिता। पति वासुदेव सिद्धार पता- अयोध्या नगर महासमुंद, 393. बेला शर्मा पिता। पति विजय कुमार शर्मा पता- AH-34 कलेक्टर कॉलोनी कवर्धा, 394. कुंदन वर्मा पिता। पति भेलेंद्र कुमार वर्मा पता- अर्जुनी, 395. मिथलेश ठाकुर पिता। पति लक्ष्मा ठाकुर पता- डी.एन. के. कोडागांव, 396. हर्षित टंडन पिता। पति द्वारिका प्रसाद पता- क्वा.2/C 15 जोन- 1 खुर्सीपार, 397. निर्मल सिंह पिता। पति स्व.तेजा सिंह पता- Q.N.-90/Jकैप -01 भिलाई, 398. केशव दास साहू पिता। पति दानी राम साहू पता-वार्ड न.-27 सुभाष नगर खुर्सीपार भिलाई, 399. खिलेश देवांगन पिता। पति चैत लाल देवांगन पता- क्वा. न.5\H जोन-01 खुर्सीपार भिलाई, 400. अन्नपूर्णा साहू पिता। पति तुला राम साहू पता-रामनगर भिलाई, 401. चैतन्य साहू पिता। पति तेजप्रकाश साहू पता-अंजोरा दुर्ग, 402. रेखचंद्र ठाकुर पिता। पति रोमन ठाकुर पता- गनियारी दुर्ग, 403. सतीश देवांगन पिता। पति स्व.जीवन लाल देवांगन पता- कोष्टा पारा देवांगन, 404. पंकज कुमार पटेल पिता। पति स्व. नन्द कुमार पटेल पता- पटेल पारा वार्ड क्र.57 उरला दुर्ग, 405. समय लाल साहू पिता। पति नजरु राम साहू पता-पुरनी बस्ती पोडियाकला दुर्ग, **बिलासपुर संस्करण**- 406. नारायण कुमार सोनी पिता। पति-महेंद्र कुमार सोनी पता- बड़ौदा, 407. दिनेश देवांगन पिता। पति लखन लाल देवांगन पता- मेन रोड गांधी चौक सिवनी चांपा, 408. अनन्या शाराफ पिता। पति यशवंत शाराफ पता- बलौदा, 409. महेंद्र कुमार सोनी पिता। पति शिव कुमार सोनी पता- बलौदा सोनरपारा, 410. अखिलेश्वर प्रसाद पिता। पति स्व. रेशम लाल पता- पौना जांजगीर, 411. अरुण कुमार यादव पिता। पति प्रकाश चंद यादव पता- खोखासा वार्ड- 4 जांजगीर, 412. रामेश्वर कुमार सूर्यवंशी पिता। पति पीसोद जांजगीर, 413. विकेश यादव पिता। पति रघुलाल यादव पता- पुरानी बस्ती नैला वार्ड- 4, 414. पीयूष यादव पिता। पति तिवारी पारा खरौद नगर जांजगीर रायगढ़ जिला 415. रूप दर्शन पिता। पति अजय कुमार दर्शन पता- केलो विहार कालोनी, 416. ललित गुप्ता पिता। पति श्याम चंद्र गुप्ता पता- कंसबेल 417. लालिमा चौहान पिता। पति जीवर्धन चौहान पता- बेलाडुल खररघाट, 418. जीवर्धन प्रसाद चौहान पिता। पति स्व. सुकमुना चौहान पता- बेलाडुल रायगढ़ 419. श्याम सिंह ठाकुर पिता। पति स्व. अमरनाथ सिंह ठाकुर पता- दारोगपारा रायगढ़ मुंगेली जिला, 420. प्रिया तंबोली पिता। पति मनीष तंबोली पता- शिक्षक नगर आंबेडकर वार्ड मुंगेली 421. श्रुंखला शर्मा पिता। पति चंद्रशेखर शर्मा पता- मुंगेली, 422. डॉली श्रीवास पिता। पति कमलेश श्रीवास पता- अग्रसेन वार्ड, 423. संतोष कुमार पाठक पिता। पति स्व. सलिक राम पाठक पता- मुंगेली, 424. अक्षय कुमार देवांगन पिता। पति राजेश देवांगन पता- पड़ान पारा मुंगेली, 425. रितिका देवांगन पिता। पति बसंत देवांगन पता- आंबेडकर वार्ड मुंगेली, 426. धीरज बांध पिता। पति सदीप बांध पता- मिशन कम्पाउंड मुंगेली, 427. दिवांशु पटेल पिता। पति वार्ड-1 सूरदा देवरी, 428. अंचल पटेल पिता। पति वार्ड-1 सड़क पारा सूरदा देवरी मुंगेली, **भोपाल संस्करण** - 429. अंशुल सेन पिता। पति विनोद सेन पता- ई-6 जनता कॉलोनी अरेरा कॉलोनी, 430. पूजा सेन पिता। पति विनोद सेनशाहपुर, 431. रोशन रैकवार पिता। पति विमल रैकवार पता- 21 श्याम नगरभोपाल, 432. दिनेश कुमार पटेल पिता। पति रामसलोने पता-पटेलशांभू 18 मेट्रो वॉक विट्टन मार्केट, 433. रवि कुमार पाण्डेय पिता। पति किशन पाण्डेय पता-विश्वकर्मा नगर, 434. नीरज चौबे पता- विदिशा पेढी स्कूल के पास, 435. रानी कुशवाह पिता। पति सुनील कुशवाह पता- विदिशा, 436. आदित्य सक्सेना पिता। पति मनोज सक्सेना पता- मकान नं.115 फेस-3 अरिहंत विहार विदिशा, **जबलपुर संस्करण** 437. नरेंद्र कुमार जैन पिता। पति स्वर्गी कोमल चंद्र जैन गोल बाजार जबलपुर, 438. प्रेमा नारायण पिता। पति बसु देव संजय गांधी नगर कटंगा जबलपुर, 439. अंश सोनोने पिता। पति शरद सोनोने पता- 970 मंजू पंच दीक्षित पूरा उपरैनगंज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड जबलपुर, 440. प्रियम नायक पिता। पति प्रदीप नायक पता- नेहरू वार्ड क्रमांक 8 पाटन, 441. सुजीत कुमार द्विवेदी पिता। पति श्री रमेश प्रसाद द्विवेदी वार्ड नंबर 1 अनुपपुर, 442. जितेंद्र गौतम पिता। पति स्वर्गीय बाला प्रसाद गौतम अनुपपुर कोतमा, 443. आरती गुप्ता पिता। पति अभिनेश गुप्ता वार्ड नंबर 6 पुरानी बस्ती कोतमा, 444. अर्चित पांडे पिता। पति भानु कुमार पांडे कोतमा।

नियम एवं शर्तें लागू * **शेष विजेताओं की सूची के लिये पढ़ते रहिए हरिभूमि**

खबर संक्षेप

अवैध मदिरा विक्रेता को आबकारी ने मेजा जेल

बैकुण्ठपुर। छग शासन की आबकारी सचिव श्रीमती आर संगीता और कोरिया जिले की कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के विरुद्ध जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने 2 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब जन्ती की बड़ी कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के तहत ग्राम डकईपारा थाना पटना के निवासी भोले पिता रामप्रकाश के कब्जे से 7 लीटर हाथभट्टी अवैध शराब बरामद कर जन्ती की गई। वहीं ग्राम डकईपारा के ही सुनील कुमार पिता विजेन्द्र कुमार के पास से 8.750 लीटर हाथ भट्टी अवैध शराब जन्ती की गई। दोनों मामलों में छग आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए जिला न्यायालय बैकुण्ठपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया गया।

विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंध बैकुण्ठपुर।

विधानसभा शीतकालीन सत्र के विधानसभा आगामी 14 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सत्र के दौरान जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। सत्रावधि के दौरान अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश देने नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर से अनुमति पर अवकाश प्राप्त कर सकेंगे। सभी विभाग कार्यालय प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने के लिए अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी भिजवाने सुनिश्चित करते हुए प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में भेजने के लिए शासकीय कार्यालयीन दिवस के साथ ही अवकाश के दिनों में कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किए जाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राजस्व विभाग के सहायक ग्रेड 3 ज्ञान प्रसाद भगत एवं भूय श्रीराम पंडो की ड्यूटी 13 दिसंबर को लगाया गया है। इसी तरह राजस्व विभाग के सहायक ग्रेड 3 रामलाल राजवाड़े एवं प्रोसेस सर्वर लखन राम को 14 दिसंबर तथा खाद्य शाखा के सहायक ग्रेड 3 संदीप कुमार एक्का एवं चौकीदार की ड्यूटी 17 दिसंबर को लगाया गया है।

577 मरीजों को मिला गुणवत्तापूर्ण उपचार



मनेन्द्रगढ़। क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर हो रहे सुधार का सकारात्मक प्रभाव अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। 220 बिस्तर क्षमता वाले सिविल चिकित्सालय मनेन्द्रगढ़ ने नवंबर माह में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हुए कुल 577 मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया। यह उपलब्धि अस्पताल की कार्यक्षमता तथा स्थानीय नागरिकों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं में यह उल्लेखनीय प्रगति स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के सतत प्रयासों, संवेदनशील नेतृत्व और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता का परिणाम माना जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में अस्पताल में संसाधनों का विस्तार, अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और विशेषज्ञ सेवाओं में लगातार सुधार हुआ है। नवंबर माह के दौरान अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष बल मिला। 135 एनएनसी (गर्भावस्था पूर्व जांच) 125 एनएनसी (प्रसवोत्तर जांच) सफलतापूर्वक की गई।

75 बोरी धान जब्त, कई किसानों का अमानक धान रिजेक्ट

धान खरीदी में सख्ती, कार्रवाई तेज

हरिभूमि न्यूज ►► बैकुण्ठपुर

जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने प्रशासन द्वारा लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कटगोड़ी धान खरीदी केन्द्र और आसपास के क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में कई अनियमितताएं उजागर हुईं। बुधवार को सुबह कटगोड़ी धान खरीदी केन्द्र में हुए औचक निरीक्षण में मानक से नीचे गुणवत्ता का लगभग 40 क्विंटल धान रिजेक्ट किया गया।

निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर नोडल अधिकारी को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र में बारदाना एवं ढकने के लिए पॉलीथिन पर्पात मात्रा में उपलब्ध मिली। निरीक्षण टीम ने फर्म रूद्र कुमार, मेन रोड कटगोड़ी के गोदाम से अवैध रूप से भंडारित 75 बोरी (30 क्विंटल) धान जन्त कर प्रकरण दर्ज किया। ग्राम मुरमा में किसान विशुन के यहां से 45 बोरी धान अवैध रूप से भंडारण पाए जाने पर जन्त किया गया। झरना पारा धान उपार्जन केन्द्र के नोडल अधिकारी कमलेश देवांगन द्वारा खरीदी केन्द्र का 3 दिसंबर को सुबह औचक निरीक्षण किया, इसमें किसान नीलकंठ पिता देवनंदन ग्राम जटासेमर का 24 बोरी धान अमानक पाए जाने पर रिजेक्ट कर वापस लौटा दिया गया। इसी तरह पांडी में दो किसानों का 71 बोरी अमानक धान रिजेक्ट किया गया। बचपा पांडी धान उपार्जन केन्द्र में बृजमोहन जायसवाल पिता बलराम, ग्राम पांडी का 65 बोरी तथा भईयालाल राजवाड़े का 6 बोरी अमानक धान मिलने पर नोडल अधिकारी ए. टोपो द्वारा रिजेक्ट कर वापस किया गया। अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे, ताकि असली किसानों को न्याय मिले और कोचियों बिचौलियों पर सख्ती बनी रहे।



निरीक्षण करते अधिकारी।

कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्र का किया औचक निरीक्षण



धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और अनुशासित बनाने कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी बुधवार को रजौली धान खरीदी केन्द्र पहुंचीं। उन्होंने पूरे केन्द्र का बारीकी से निरीक्षण कर खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया का परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बारदाना की गुणवत्ता और सत्यापन की स्थिति देखी। इसके साथ ही पुराने धान की पहचान कर मॉडिस्टर मीटर से नमी परीक्षण करवाया गया। अमानक धान पाए जाने पर तत्काल रिजेक्शन की कार्रवाई कराई गई। कलेक्टर ने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए व्यवस्था ठीक रखने के निर्देश भी दिए।

1326.60 क्विंटल अवैध चावल पकड़ा

धान खरीदी व्यवस्था में सख्ती लाने अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य के निर्देशन में बुधवार को पोड़ी-बचरा स्थित मेसर्स दीपक राइस मिल एवं दीपक एग्रोटैक राइस मिल पर की गई जांच में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1326.60 क्विंटल अवैध चावल जन्त किया। जन्त चावल का कीमत 42,31,077 रूपए आंकी गई है। जांच में पाया गया कि दो बिहार पारिंग ट्रकों में 727 क्विंटल चावल लोड था। दो छग पारिंग ट्रकों में 699 क्विंटल चावल मिला। पृथक्ताड़ में मिल संचालक ने इसे धर्म कांटा में तौल के लिए लाया जाना बताया, लेकिन प्रस्तुत बिल-व्हाउचर से स्पष्ट हुआ कि यह चावल बिहार से लाया गया अवैध माल है। प्रथम दृष्टया यह चावल एफसीआई और नान गोदामों में खपाने की तैयारी में लाया गया प्रतीत होता है। संयुक्त टीम (खाद्य निरीक्षक, जिला विपणन अधिकारी, सहायक पंजीयक) के सत्यापन में पाया गया कि मिल में सिर्फ 12 हजार क्विंटल धान मौजूद था, जबकि एफसीआई-नान में 18 हजार क्विंटल चावल जमा करना जरूरी है, जबकि मौके पर सिर्फ 3 हजार क्विंटल चावल मिला। वहीं 12 हजार क्विंटल धान से अधिकतम 7,200 क्विंटल चावल ही बन सकता है। इस हिसाब से मिलरों को जमा करने के लिए 24 हजार क्विंटल धान की आवश्यकता थी। इससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर चावल खपाने व गड़बड़ी का प्रयास किया गया। वर्ष 2024-25 की कस्टम मिलिंग के विरुद्ध मिल संचालक द्वारा अब भी



18,394 क्विंटल सीएमआर चावल जमा करना शेष है। वाहन क्रमांक बीआर-24 जीडी 0366 में 425.30 क्विंटल चावल, बीआर-24 जीबी 2743 में 302.40 क्विंटल चावल, सीजी 15 डीक्यू 9509 में 348.90 क्विंटल चावल तथा सीजी 04 एनआर 3900 में 350 क्विंटल इस तरह कुल 1326.60 क्विंटल चावल जन्त की गई। जिसकी कीमत 42 लाख 31 हजार 77 रूपए का है। भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद मिल संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 के तहत अब तक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान से फर्जी व अवैध धान, चावल परिवहन करने वालों में हड़कंप मचने की संभावना है।

दिव्यांगजन दिवस पर छात्राओं को मिला सुरक्षा का संदेश



हरिभूमि न्यूज, मनेन्द्रगढ़

महिला सशक्तिकरण केन्द्र (मिशन शक्ति हब) की ओर से बुधवार को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और लिंग आधारित हिंसा की समाप्ति के लिए चल रहे 16 दिवसीय सक्रियता अभियान के तहत नवीन महाविद्यालय नागपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर डी. राहुल वैकट के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को लिंग आधारित हिंसा समाप्त, दिव्यांगजन के अधिकारों और उनके

प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का संदेश दिया गया। यह आयोजन मिशन शक्ति, नवाबिहन और सखी केन्द्र के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को वीरंगनाओं के आदर्शों से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर बनने, आगे बढ़ने और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही बालिकाओं में लैंगिक समानता, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सखी वन-स्टॉप सेंटर, संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन नंबर 181, 1098, 1930 की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई।

दिवा फेस ऑफ छग का ग्रैंड फिनाले देशभर की प्रतिभाएं दिखाएंगी दम

हरिभूमि न्यूज, मनेन्द्रगढ़

छग के प्रतिष्ठित फेशन एवं टैलेंट प्लेटफॉर्म दिवा फेस ऑफ छग 2025 का भव्य ग्रैंड फिनाले 29 नवंबर को मनेन्द्रगढ़ के सुरभि पार्क में आयोजित किया गया। राज्य के सबसे बड़े ब्यूटी पैजेंट शो के रूप में पहचान बना चुके इस इवेंट में मॉडलिंग, बेस्ट डांसर, बेस्ट ड्रेस डिजाइनर और बिजनेस अवॉर्ड जैसी कई श्रेणियों में प्रतिभागियों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिला।



विशेष आकर्षण के रूप में ग्रैंड फिनाले जज रही माही सवारियां मिस इंडिया विनर, मिस इंटरनेशनल, मिस छत्तीसगढ़ और अरुण मलिक मिस्टर सेंट्रल इंडिया, मिस्टर छग मिस्टर राजस्थान इन दोनों की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की डायरेक्टर सिमरन बेहेरा, को-डायरेक्टर यश राज, तथा सहयोगी सदस्य रिया सोनकर और तुकिफ ने बताया कि इस बार

नए आपराधिक कानूनों पर जनजागरूकता स्टाल का आयोजन

बैकुण्ठपुर। 1 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन में कुमार चौक बैकुण्ठपुर में नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में जनजागरूकता के लिए विशेष स्टाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए महत्वपूर्ण संशोधनों एवं नए कानूनों के प्रभावों प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में जिला न्यायालय कोरिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजीएम), जीएमएफसी न्यायिक अधिकारीगण मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि हुई तथा आमजन को न्यायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान उप पुलिस अधीक्षक नेलसन कुजूर, रक्षित निरीक्षक विपुल आनंद जागड़, थाना प्रभारी बैकुण्ठपुर विपिन लकड़, यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े, सहायक उप निरीक्षक धनंजय सिंह तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त शाखाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

तीन दिनों बाद थम जाएगी शहनाइयों की गूंज

हरिभूमि न्यूज ►► बैकुण्ठपुर

साल के आखिरी वर्ष दिसंबर में अब गिनती के ही विवाह मुहूर्त हैं, इसी माह में खरमास भी लग जाएगा, इसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा।

खरमास आगामी 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए शुभ कार्य इसके पूर्व कर लेना उचित होगा। जब खरमास लग जाएगा तब फिर एक माह के लिए किसी भी तरह का विवाह मुहूर्त नहीं होगा और नहीं इस दौरान कोई शुभ कार्य किया जाता है। जानकारी के अनुसार सनातन धर्म

इसके पूर्व अब विवाह के मुहूर्त 4 से 6 दिसंबर तक ही हैं, इसके बाद विवाह की बैडबाजे व शहनाई की गूंज थम जाएगी। इसके बाद नए साल में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खरमास समाप्त होगा। इस दौरान विवाह व अन्य सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। खरमास समाप्त होने के बाद ही मांगलिक कार्यों की फिर से शुरूआत हो सकेगी।

16 दिसंबर से धनु राशि में सूर्य का प्रवेश

आगामी 16 दिसंबर से सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे इसके साथ ही खरमास का प्रारंभ होगा जो लगभग एक माह तक रहेगा। इसके बाद नए साल में 14 जनवरी को सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर लगा विराम भी हट जाएगा। खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, मंडन जनेउ संस्कार आदि कार्य वर्जित माना गया है।

धार्मिक कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं

खरमास के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों को करने की मनाही रहती है, लेकिन इस दौरान धार्मिक कार्यों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। मान्यता है कि खरमास आत्मशुद्धि, पूजा-पाठ एवं संयम का समय माना गया है। इस समय किए गए धार्मिक अनुष्ठान, जप तप व दान का फल अक्षय होता है।

कलेक्टर ने 63 आवेदकों की सुनी समस्याएं

अनुपपुर। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर स्थित नर्मदा सभागार में संपन्न हुई। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने 63 आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी, अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनी।

सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू



हरिभूमि न्यूज, बैकुण्ठपुर

जनपद पंचायत सोनहत ग्राम पंचायत लटमा में सीसी सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति पूर्व में मिली थी, जिसका काम बुधवार से शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत लटमा के अटल चौक से आगे मुख्य बस्ती तक सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए जमीन खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया।

यहां अटल चौक से पंचायत भवन के कुछ दूरी तक सीसी सड़क का अभाव था, जबकि इसके बाद सीसी सड़क मुख्य आबादी वाले क्षेत्र तक विस्तारित था, लेकिन लंबे समय पूर्व बने सीसी सड़क की स्थिति खराब हो गई थी। अब सीसी सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के बाद ग्रामीणों की बेहतर सड़क सुविधा का लाभ निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मिल सकेगा।

साइबर सुरक्षा को लेकर बैठक



हरिभूमि न्यूज, मनेन्द्रगढ़

जिला मुख्यालय एमसीबी में पुलिस साइबर सुरक्षा के लिए जिला पुलिस एवं बैंक प्रबंधकों की संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, बैंक पुलिस से साइबर सेल मनेन्द्रगढ़ द्वारा विभिन्न बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, बैंक पुलिस से साइबर सेल मनेन्द्रगढ़ द्वारा विभिन्न बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, बैंक पुलिस से साइबर सेल मनेन्द्रगढ़ द्वारा विभिन्न बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, बैंक पुलिस से साइबर सेल मनेन्द्रगढ़ द्वारा विभिन्न बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई।

व्हाट्सएप हैकिंग सहित बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति बैंक स्टाफ को सतर्क रहने और ग्राहकों को जागरूक करने के निर्देश। फर्जी केवाईसी, नकली दस्तावेजों एवं संदिग्ध खातों को रोकने के लिए बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, ट्रैजिक्शन ट्रेकिंग एवं इंटरस्टेट समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर सेल प्रभारी विवेक पाटले, पुष्पल सिन्हा, भूपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर, राकेश तिवारी सहित बैंक अधिकारी एवं बैंकों में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर बल दिया। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल। इंटर बैंक सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संर



खबर संक्षेप

होली क्रॉस आशा निकुंज में बच्चों को दी गई जानकारी

अंबिकापुर। महिला सशक्तीकरण केंद्र व समाज कल्याण विभाग के समन्वय से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी जेआर प्रधान के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं और बालकों को समाज में समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी दी गई। लिंग आधारित हिंसा समाप्त हेतु 16 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का आयोजन होली क्रॉस आशा निकुंज विशेष विद्यालय में किया गया जिसका उद्देश्य दिव्यांग बालिकाओं और बालकों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना व उनमें आत्मविश्वास को बनाए रखने है। बाल अधिकार एवं सामाजिक भेदभाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की चर्चा की गयी। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने हेतु चर्चा की गयी साथ ही बालिकाओं में में लैंगिक समता, संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा, आपातकालीन नंबर जैसे 181, 1098, 1930, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006, पॉक्सो एक्ट, आदि विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान जिला समन्वयक नून सिन्हा, वित्तीय विशेषज्ञ नेहा सिंह, आईपीपीएस से सुमंती खाखा व समाज कल्याण विभाग से विमलेशा उडके, शाखा खान विशेष कृष्ण की प्राचार्य श्रीमती श्वेता तिवारी, स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

ग्राम पाण्डोन्नत स्थित राष्ट्रपति भवन में डॉ राजेंद्र प्रसाद की मनाई गई जयंती



बिश्रामपुर। ग्राम पांडोन्नत स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद की बुधवार को जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रही, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के 141 वीं जयंती पर कैबिनेट मंत्री ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजली अर्पित कर नमन किया, उपस्थित जनों के बीच श्रीमती राजवाड़े ने डॉ राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्र निर्माण के योगदान को याद करते हुए उन्हें भारतीय इतिहास का महानायक बताया, इस अवसर पर उन्होंने उस समय को याद किया जब राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने पण्डोन्नत की भूमि पर अपना कदम रखा था और यह स्थान आज भी कैसे राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद की विरासत को संजोए हुए है, इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के यहाँ आने तथा क्षेत्र में पण्डो व अन्य जनजाति समुदाय के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र किया, इस अवसर पर ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर के नाम से बनाया गया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट

बलरामपुर। जिले में एक नया साइबर अपराध सामने आया है, जहाँ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर राजेंद्र कटारा के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर संदेश भेजा जा रहा है। यह मुख्य रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से की जा रही है, जिसमें कलेक्टर के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने जिले की आम जनता से अपील की है कि वे इस प्रकार की संदेश से सतर्क रहें और किसी भी अनजान नंबर +84349589853 से आए संदेशों पर संवाद न करें। बलरामपुर कलेक्टर श्री कटारा ने कहा है कि अगर किसी को भी इस प्रकार की संदिग्ध फेक आई डी से संदेश या कॉल आता है, तो वे तुरंत ब्लाक तथा स्पैम रिपोर्ट करें।

शशिपुर स्थित माटीकला बोर्ड के प्रभारी ने प्रबंधक पर मारपीट करने का लगाया आरोप, कलेक्टर से शिकायत

हरिभूमि न्यूज विश्रामपुर

माटीकला बोर्ड शशिपुर तेलईकछार स्थित सूरजपुर प्रभारी एवं सरगुजा संभाग के विकास

■ मारपीट की घटना परचात सीसीटीवी का डीवीआर हटाने के भी प्रबंधक पर लगे आरोप, साक्ष्य मिटाने की कोशिश

अधिकारी प्रमोद डेविड ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रायपुर मुख्यालय के प्रबंधक साकेत राजपुरिया पर धमकाते हुए मारपीट करने एवं घटना पश्चात सीसीटीवी के डीवीआर को गायब कर साक्ष्य मिटाने का गंभीर आरोप लगाया है।

सूरजपुर कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि घतनो 29 नवंबर को शाम करीब

नई गाइड लाइन में ग्रामीण क्षेत्रों का पंजीयन राजस्व शुल्क 108 फीसदी, शहरी क्षेत्र का 26 फीसदी

नई गाइड लाइन लागू होने के बाद उप पंजीयक कार्यालय में वीरानी, कम हुई भूखण्डों की रजिस्ट्री

हरिभूमि न्यूज अंबिकापुर

शासन द्वारा भूमि पंजीयन के लिए नई गाइडलाइन लागू करने के बाद भूखण्डों के क्रय-विक्रय में भारी कमी आई है। सुबह से देर शाम तक गुलजार रहने वाले उप पंजीयन कार्यालय में वीरानी आई है। लोगों का कहना है कि पंजीयन राजस्व की दर में वृद्धि होने के कारण रजिस्ट्री की संख्या में कमी आई है वहीं अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा नई गाइडलाइन में बदलाव कर पूर्व की विसंगतियों का निराकरण किया गया है जिससे शहर एवं ग्रामीण हर क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी।

शासन द्वारा भूमि पंजीयन के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। जिसमें शहरी क्षेत्र के भूखण्ड के पंजीयन शुल्क में 26 फीसदी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 108 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद भूखण्डों के पंजीयन में कमी आई है वहीं गाइडलाइन की दर में संशोधन करने की भी मांगें उठ रही है। नई गाइड लाइन को लेकर अधिकारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन जारी करने के पूर्व शासन द्वारा विभाग के माध्यम से व्यापक सर्वे कराया गया था। सर्वे में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विविध तरीकों से अध्ययन किया गया तथा आवागमन की सुविधा,



पंजीयक कार्यालय।

हटाया गया प्रारूप-2 को

अधिकारियों के अनुसार नई गाइड लाइन में प्रारूप-2 को हटा दिया गया है जिससे शासन को राजस्व हानि हो रही है। शासन ने 50 फीसदी राजस्व हानि को रोकने वहन करने का निर्णय लिया है। नई गाइडलाइन में पंजीयन के लिए निर्धारित वर्गफ्रीट माप को रखा गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के भूखण्ड के पंजीयन के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बदलाव के बाद छोटा भूखण्ड कृष करने पर भी राजस्व शुल्क का निर्धारण प्रति हेक्टेयर निर्धारित दर से किया जा रहा है जिससे केता को कम शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है। अधिकार क्षेत्रों में भूमि को दर अधिक निर्धारित है जबकि शासन द्वारा बेहद कम दर निर्धारित किया गया है तथा इसी दर से पंजीयन शुल्क भी तय किया गया है। नई गाइड लाइन में राजस्व शुल्क में सुधार किया गया है फिर वास्तविक दर से शासन द्वारा निर्धारित दर काफी कम है। भूमि अधिग्रहण की स्थिति में पूर्व बड़े भूखण्ड का मुआवजा कम तथा छोटे का अधिक भुगतान किया जाता था। नई गाइड लाइन में इस विषयता को हटाकर एक संमान कर दिया गया है।

व्यावसायिक उपयोग सहित अन्य आवश्यक तथ्यों के अध्ययन उपरांत रिपोर्ट शासन को भेजी गई जिसके आधार पर नई गाइड लाइन जारी की गई है। शहर के आसपास के गांवों में अधिक संख्या में भूखण्डों का क्रय-विक्रय होता है साथ ही ऐसे क्षेत्रों का तेजी से विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क किनारे के भूखण्डों की उपयोगिता अधिक रहती है। व्यवसायिक परिसर के आसपास की भूमि को व्यवसाय की दृष्टि से अधिक उपयोगी माना जाता है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही

कम हुई पंजीयन की संख्या

नई गाइड लाइन की दरें ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट नहीं होने के कारण हर भूखण्ड के पंजीयन के लिए शुल्क का निर्धारण कर्मचारियों को मैन्युअल करना पड़ रहा है साथ ही केता-विकेता की संपूर्ण जानकारी दर्ज करनी पड़ रही है। इससे पंजीयन में काफी विलम्ब हो रहा है। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद पंजीयन की संख्या में भारी कमी आई है। पूर्व में जहां हर दिन 50 से अधिक भूखण्डों का पंजीयन हो रहा था वहीं अब कमरिक्त 40 भूखण्डों का पंजीयन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजीयन की संख्या में कमी आई है। अधिकारी भूखण्डों का पंजीयन मैन्युअल होने को कम रजिस्ट्री होने का कारण बता रहे हैं।

दूर हुई है विसंगतियां

नई गाइड लाइन में विभिन्न विसंगतियों को दूर किया गया है। लगातार 7-8 साल तक राजस्व शुल्क में छूट मिलने के कारण नई गाइडलाइन की दरें अधिक लग रही हैं।

-विवेक कुमार सिंह, जिला पंजीयक

क्षेत्रों में सड़क किनारे एवं सड़क से दूर के भूखण्डों की उपयोगिता अलग-अलग होती है। नई गाइडलाइन में ऐसे विकसित क्षेत्र के दरों में वृद्धि की गई है वहीं सड़क से दूर के भूखण्डों के राजस्व दर को सामान्य निर्धारित किया गया है। नई गाइडलाइन को लेकर लोग व्यर्थ ही आशंकित हैं नई गाइड लाइन में कई कंडिकाओं को हटा दिया गया है।

हार जीत का दांव लगा रहे चार जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा, मोबाइल व बाइक जब्त

सूरजपुर। हार जीत का दांव लगा रहे चार जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से नकदी के अलावा मोबाइल व बाइक जब्त किया है। पुलिस ने सभी जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। क्षेत्र में गश्त कर रहे चौकी बसदेई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गंगोटी में बड़ी संख्या में कुछ लोग एकत्र होकर हार जीत का दांव लगा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर जुआ खेल रहे पोड़ी रामानुजगंज के जवादीश प्रसाद आ. रामनारायण साहू (48 वर्ष) गंगोटी बसदेई के पूरन प्रसाद आ. धनराज (35 वर्ष), ग्राम गांजा के संजय साहू आ. परन राम (43 वर्ष) व ग्राम बांजापारा के सूरज साहू आ. राम संजीवन (32 वर्ष) को पकड़ा। पुलिस ने फंड से 9 हजार 100 जब्त किया साथ ही जुआइयों के 4 मोबाइल व 4 बाइक को जब्त किया। पुलिस ने सभी जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी बसदेई योगेश्वर जायसवाल, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, अलता टोप्पा, बालमुकुन्द पाण्डेय, आरक्षक देवत दुबे, शिवराज, रामकुमार, आदित्य यादव, राकेश सिंह, दिलीप साहू व महिला आरक्षक पूनम व प्रफुल्ला सक्रिय रहे।

कॉलोनी क्षेत्र स्थित सूने वार्टर का ताला तोड़कर नकदी समेत सोने चांदी के जेवरत की चोरी

हरिभूमि न्यूज विश्रामपुर

एसईसीएल आवासीय कॉलोनी में एक सूने मकान की रेकी कर अज्ञात चोरों ने नगदी समेत जेवरत लेकर फरार हो गये है, चोरी किये गये सामान की कीमत करीब एक लाख रुपये आंकलन की गई है।

गौरतलब है कि एसईसीएल कॉलोनी 1 बी 148 नंबर निवासी रीजनल वर्कशॉप में मैकेनिकल हेल्पर 48 वर्षीय अब्दुल रहीम पिता सूर्य, अब्दुल करीम गत दिनों 1 दिसंबर को एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने परिवार सहित बिजुरी गए हुए थे, इसी बीच



उसमें रखे करीब 10 हजार रुपए नगदी समेत सोने की चैन, एक जोड़ी सोने की बाली, सोने की दो अंगूठी, चांदी की दो जोड़ी पायल व अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं, कोलकर्मी अब्दुल रहीम गत 1 दिसंबर की ही मध्य रात वापस घर लौटे तो देखा कि घर के सामने द्वार का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा अंदर से बंद है, कोल कर्मी ने जब क्वार्टर के पिछले हिस्से में जाकर देखा तो गेट खुला हुआ पाया, प्रार्थी ने घटना की सूचना पुलिस को दी, विश्रामपुर पुलिस ने मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

आईटीसी की टीम ने नगर के कई प्रतिष्ठानों में की छापामार कार्रवाई

रामानुजगंज। नगर में आज सुबह आईटीसी की विशेष टीम ने नकली गुटखा और सिगरेट की बिक्री तथा कॉपीराइट उल्लंघन के संदेह पर कई प्रतिष्ठानों में एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, टीम पांच से छह वाहनों से एक साथ रायपुर से रामानुजगंज पहुंची और आते ही अलग-अलग दुकानों व गोदामों पर दबिश दी। आईटीसी की टीम उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच कर रही है, जिन पर डुल्कीट ब्रांडेड सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री के साथ कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने की शिकायतें मिली थीं। टीम द्वारा स्टॉक की गहन तलाशी ली जा रही है, जिसमें संदिग्ध पैकेट, बंडल, स्टिकर और पैकिंग सामग्री की जांच शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कई स्थानों से संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है और संबंधित संचालकों से मौके पर ही पूछताछ जारी है। टीम ने अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन यह

उसमें रखे करीब 10 हजार रुपए नगदी समेत सोने की चैन, एक जोड़ी सोने की बाली, सोने की दो अंगूठी, चांदी की दो जोड़ी पायल व अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं, कोलकर्मी अब्दुल रहीम गत 1 दिसंबर की ही मध्य रात वापस घर लौटे तो देखा कि घर के सामने द्वार का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा अंदर से बंद है, कोल कर्मी ने जब क्वार्टर के पिछले हिस्से में जाकर देखा तो गेट खुला हुआ पाया, प्रार्थी ने घटना की सूचना पुलिस को दी, विश्रामपुर पुलिस ने मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

अवधूत नगर में अघोरेश्वर भगवान राम एवं श्याम बाबा का महानिर्वाण दिवस मनाया गया

सीतापुर। अवधूत नगर के काली मंदिर में अघोर गुरु रक्षित राम बाबा के सानिध्य में श्री सर्वेश्वरी जनकल्याण सेवा समिति द्वारा अघोरेश्वर भगवान राम एवं अघोरेश्वर श्याम बाबा का महानिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अवधूत नगर के काली मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाने के बाद सफल योनि पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद मंदिर में आरती हवन पूजन के बाद अवधूत नगर से प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी मुख्य मार्ग से होते हुए हॉस्पिटल पहुंची जहां मरीजों के बीच दूध एवं फल वितरण किया गया। यहां से प्रभात फेरी वापस पहुंचने के बाद अवधूत नगर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था जिसमें शामिल होकर भक्तों समेत लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।



चार लाख कीमत गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, गया जेल

हरिभूमि न्यूज सूरजपुर

परीपेक्ष्य में गत दिन चौकी रेवटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि अंबिकापुर से रेनुकूट जाने वाली बस में एक व्यक्ति गांजा लेकर बिक्री करने बनारस जा रहा है। सूचना पर नगर चंचीडांड बनारस रोड़ पर नाकाबंदी कर बस की जांच की जा रही थी इसी दौरान बस से एक व्यक्ति 2 बैग लेकर भागने लगा रेवटी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर न सिर्फ यात्री बस से भारी मात्रा गांजा बरामद किया बल्कि गांजा तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार चौकी रेवटी पुलिस ने अंबिकापुर से रेनुकूट जाने वाली बस में गांजा ले जा रहे एक गांजा तस्करी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 लाख रुपये कीमत के 12 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। एसएसपी कुमार ठाकुर ने नशे के कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी

जब युवक की बेग की तलाशी ली तो बैग से 4 लाख कीमत के 12 किलो 300 ग्राम गांजा बतराद किया पुलिस ने गांजा को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी रेवटी कृष्णा सिंह, एसएसआई विनोद सिंह, प्रधान आरक्षक शिव राजवाड़े, अभिलाष राम, आरक्षक अखिलेश दुबे, महेंद्र कुमार, अशोक राजवाड़े, संत पैकरा, अनिरुद्ध पैकरा व मुरलीधर नायक सक्रिय रहे।

पेज 1 के शेष...

खदान विस्तार को लेकर संघर्ष...

हमला भी किया एसईसीएल प्रबंधन और माइनिंग कंपनी के लोग घायल हुए थे। भूमि अधिग्रहण के बाद एसईसीएल प्रबंधन कोयला उत्खनन करना चाह रही है जबकि ग्रामीण अपनी जमीन कोयला खदान के लिए देने को तैयार नहीं हैं। वर्षों से चले आ रहे संघर्ष के बीच बुधवार को अधिग्रहित भूमि का एसईसीएल प्रबंधन को कब्जा दिखाने के लिए अपर कलेक्टर सुनील नायक, एसएसपी अमोलक सिंह डिल्ली के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी। प्रशासन ने ग्रामीणों को शुरुआत में समझाव देकर जमीन का कब्जा खाली करने के निर्देश दिए लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहे।

जमीन नहीं देना चाहते है ग्रामीण - बता दें कि ग्रामीण एसईसीएल को कोयला उत्खनन के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनके जाविकोपार्जन का साधन है। पुरखों से वे इस जमीन पर निवास करते आ रहे है अब खदान के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण होने से वे बेघर हो जाएंगे। उनके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं होगा। उन्हें ना ही कोई नौकरी चाहिए और ना ही मुआवजा चाहिए। कुछ ग्रामीण अपने बच्चों के लिए नौकरी की मांग कर रहे है लेकिन अधिकारी उन्हें प्रतिज्ञाओं में उझला रहे है।

2001 में किया गया था अधिग्रहण- बता दें कि अमेरा खुली खदान के विस्तार हेतु वर्ष 2001 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि काल बेवज्रिग एक्ट के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसमें लगभग 462 भूखण्डों का मुआवजा दिया जाना था। अब तक की स्थिति में महज 20 प्रतिशत लोगों ने ही अपना मुआवजा लिया है। बाकी शेष ग्रामीण आज भी विरोध पर अड़े हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि ना ही उन्हें मुआवजा चाहिए और ना ही नौकरी। वे अपनी जमीन कोयला उत्खनन के लिए नहीं देंगे। वर्षों से भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरण नहीं होने के कारण मुआवजा प्रकरण का मानला दिखलूक में चला गया है।

हरिभूमि **आवश्यक सूचना**

प्रिय ग्राहक बंधुओं आपका अपना प्रिय अखबार **हरिभूमि** के स्थान पर अगर कोई अन्य अखबार दिया जा रहा है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें

रिंग रोड चोपड़ापाड़ा, काली मंदिर के पास उड़िया पण्डित काम्प्लेक्स अंबिकापुर मो 9826154736

online Booking- www.tripuryatra.com

बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया से होकर

सुरिया ज्योत्सव सन्मेल

कम राशि पर

20 वर्षों से

श्री रामेश्वरम् धाम ज्योतिर्लिंग, श्री तिरुपति बालाजी, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, मद्रुई श्री मीनाक्षीदेवी,

40 शीटें शेष श्री कन्याकुमारी,

राशि - स्त्रीपर 16,500/-, 3 एसी-27,500/-, 2 एसी 32,500/- 1-5% GST

Since-2007

श्री त्रिपुर तीर्थ यात्रा सेवा समिति

RAIPUR- D-36, Sector-4, Kamal Vihar, KORBA- Shop No. 301,302,303 S.S. Plaza, Power House Road

संपर्क करें:- 7354 411411

राजयोग- धनयोग, विवाह, संतान, मंत्रियोग, राजपत्रित पद, व्यापार संबंधित प्रश्न, यात्रा ट्रांसफर एवं अन्य ज्योतिष संबंधी प्रश्नोत्तर, 9 ग्रह 27 नक्षत्र 64 योगिनी, वास्तु शास्त्र तथा प्रश्नोत्तर ज्योतिष द्वारा प्राप्त करें, तंत्र द्वारा वशीकरण, विवाह या किसी भी परेशानी से तत्काल लाभ प्राप्त करें।

डॉ. जे. पी. दुबे (पुष्पेन्द्र)

ज्योतिष तंत्र, पी.एच.डी., (गो. लो. मेडिकल)

नोट- स्वामी जी प्रत्येक दिन अंबिकापुर में उपलब्ध रहेंगे!!

डॉ. जे. पी. दुबे

मो. 9630231500, 9630995600

पता - कार्मल स्कूल गेट नम्बर 4 वसुंधरा सनसिटी गेट के बाजू राजनिवास अपार्टमेंट अंबिकापुर (छ.ग.)

आने से पूर्व अपॉइंटमेंट अवश्य लेवे